



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2015/ज्येष्ठ 5, 1937

No. 335]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2015/JYAISTHA 5, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

सा.का.नि. 423(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्व सं. का.आ. 249(अ) तारीख 4 फरवरी, 2011 की अधिसूचना द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण और उपयोग को निर्विधित करने और नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 विरचित की थी ;

और क्रियान्वयन के मूल्यांकन से यह पता चला है कि विभिन्न कारणों से विहित प्राधिकारियों द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इन नियमों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता महसूस की गई ;

और घरेलू या किसी अन्य स्रोत से इसके उत्पादन या मध्यवर्ती सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधा से प्लास्टिक अपशिष्ट भाग के संग्रहण में प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण, स्रोत पृथक्करण, पुनःचक्रीकरण, अपशिष्ट चुनने वालों, पुनःचक्रणकर्ताओं और अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं और अपशिष्ट प्रबंध व्यवस्था की संधार्यता के लिए प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत को अंगीकार करने पर जोर देने की आवश्यकता है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 के अधिक्रमण में उसके सिवाए जिसे ऐसे अधिक्रमण के पूर्व अपेक्षित बातें की गई हैं या किए जाने का विरोध किया गया है, प्रस्तावित करती है और तद्वारा आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है जिससे उन लोगों के प्रभावित होने की संभावना है; और ये सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध करा दी गई हैं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति को या उसके पश्चात् विचार में लिया जाएगा; प्रारूप नियमों के आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हैं, सचिव, पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या इलैक्ट्रानिक रूप से मंत्रालय की ई-मेल पता @ bnsinha@gov.in, e.thirun@nic.in; पर इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के भीतर संबोधित किया जाए;

ऐसे आक्षेप और सुझाव जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंध नियम, 2015 है।
2. इन नियमों में उपबंध के सिवाए वे राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना

1. ये नियम प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत विनिर्माता और उत्पादक को लागू होंगे।
2. नियम 4 केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात के आदेश के लिए अपने उत्पाद के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख इकाइयों या विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों पर लागू नहीं होगा: परन्तु यह छूट गुटका, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी इकाइयों और किसी अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भी लागू नहीं होगी।

3. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) **“अधिनियम”** से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) **“कैरी बैग”** से प्लास्टिक सामग्री से बनाया गया, ले जाने या वस्तुएं तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैग अभिप्रेत है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नहीं है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है;

(ग) **“वस्तु से”** ऐसा मूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित है;

(घ) **“कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक”** से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई-आक्साइड, जल, अकार्बनिक यौगिकों को कंपोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कंपोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य, विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नहीं छोड़ती है;

(ज) **“सहमति”** से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापित करने की सहमति और उसे चलाने की सहमति अभिप्रेत है;

(च) **“विघटन”** से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है;

(छ) **“विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर)”** से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंध के लिए उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है

(ज) **“खाद्य पदार्थ”** से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्ध ठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाए हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत हैं;

(झ) **“सुविधा”** से प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयोग किए जाने वाला परिसर अभिप्रेत है;

(ञ) **“संस्थागत जनित्र”** से केन्द्रीय सरकारी विभाग, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्थल, संगठन, अकादमी, होटल या रेस्तरां द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

(ट) "विनिर्माता" से उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले प्लास्टिक के उत्पादन में लगा व्यक्ति या इकाई या अभिकरण अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

(ड) "बहुस्तरीय पैकेजिंग" से पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और कागज, कागज बोर्ड, बहुलक्ष्य सामग्रियां, धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पत्रियां जो यो तो लेमिनेट रूप में या सह-बहिर्वर्धन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक सतह का संयोजन रखती है ;

(इ) "प्लास्टिक" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीथाइलीन टेरैफेथेलेट, उच्च घनत्व पोलीथाइलीन, विनाइल (पीवीसी), कम घनत्व पोलीथाइलीन, पोलीप्रोपीलीन, पोलीस्टाइरीन रेसिन, एक्रिलोनीट्रीइलीन बूटाडीन स्टाइरिन (एबीएस) जैसी बहु सामग्री, पोलीफिनाइलीन आक्साइड (पीपीओ), पोलीकार्बोनेट (पीसी), पोलीबूटीलीन टेरैफिथेलेट (पीबीटी) जैसी उच्च पालिमेर के आवश्यक तत्व अन्तर्विष्ट हों और जो तैयार उत्पाद की प्रक्रिया में किसी स्तर तक बहाव द्वारा आकारित किया जा सकता हो;

(ई) "प्लास्टिक चद्दर" से चौड़ा, पतला, प्रायः आयताकार पिन्ड या पिन्ड का भाग अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

(ण) "प्लास्टिक अपशिष्ट" से प्लास्टिक से तैयार ऐसा कोई उत्पाद अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या आशयित जीवन समाप्त हो जाने के पश्चात फेंक दिया जाता है ;

(त) "विहित प्राधिकारी" से नियम 12 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(थ) "उत्पादक" से कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या जैसे के विनिर्माण में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक शीट या जैसे या प्लास्टिक शीट के बनाए गए कवर या वस्तु की पैकेजिंग या ढकने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति सम्मिलित हैं

(द) "रजिस्ट्रीकरण" से यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबद्ध प्रदूषण नियंत्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है

(ध) "पथ विक्रेता" का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (1) में है ;

(न) "शहरी स्थानीय निकाय" से नगर निगम, म्युनिसिपलिटी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) या सुसंगत कानूनों के अधीन गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय और जहां प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध ऐसे अभिकरण को सौंपा गया है, सम्मिलित हैं;

(प) "अप्रयुक्त प्लास्टिक" से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया है या रद्दी या अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्रित नहीं किया गया है ;

(फ) "अपशिष्ट जनित्र" से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था, भारतीय रेल और रक्षा कन्टून्मेंट जो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते हैं सहित रिहायसी और वाणिज्यिक स्थापन अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

(ब) "अपशिष्ट प्रबंध" से प्लास्टिक अपशिष्ट की वैज्ञानिक रूप से कमी, पुनः उपयोग, पुनःप्राप्ति, पुनःचक्रण, कंपोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है;

(भ) "अपशिष्ट चुनने वाले" से पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनने में लगे हुए स्वैच्छिक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है;

4. शर्तें -

कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग के बने आवरण के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएंगी, अर्थात्:-

(क) कैरी बैग या तो प्राकृतिक रंग (रंगहीन) जो किसी मिलाए गए रंजक से रहित है या केवल उन्हीं रंजकों और रंगों का उपयोग कर बनाए गए हैं जो समय-समय पर यथा-संशोधित "खाद्य पदार्थों, भेषजीय पदार्थों और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिकों के उपयोग के लिए रंजकों और रंगों की सूची" नामक शीर्षक से भारतीय मानक: आईएस 9833:1981 के अनुरूप हैं;

- (ख) पुनःचक्रित प्लास्टिक या पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने किसी उत्पाद का उपयोग खाद्य सामग्री का भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए नहीं किया जाएगा;
- (ग) अप्रयुक्त या पुनःचक्रित के बने किसी कैरी बैग की मोटाई में 50 माइक्रोन्स से कम नहीं होगी ;
- (घ) प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार, जो बहुस्तरीय पैकेजिंग या वस्तु की पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट के बने कवर का अभिन्न भाग नहीं है की मोटाई 50 माइक्रोन्स से कम नहीं होगी;
- (ङ) विनिर्माता संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण न रखने वाले उत्पादक को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक को न बेचेगा या न उपलब्ध कराएगा या न व्यवस्था करेगा;
- (च) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जाएगा;
- (छ) पुनःचक्रित कैरी बैग, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा.14539:1998 के अनुरूप होंगे;
- (ज) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैग समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भा.मा.14539:1998 के अनुरूप होंगे;
- (झ) किसी भी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी पैकज में सभी प्रकार के गुटका, पान मसाला और तम्बाकू के पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाएगा ।

5. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध- (1) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने संबद्ध अधिकारिता में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध इस प्रकार होगा:-

- (क) शुष्क जैव निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट, सुखा पुनः चक्रण योग्य और ज्वलन योग्य अपशिष्टों और घरेलू संकटमय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2015 के अनुसार किया जाएगा ;
- (ख) ऐसा प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे पुनःचक्रित किया जा सकता हो, को रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट पुनःचक्रण को पहुंचाया जाएगा और प्लास्टिक का पुनःचक्रण समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानक:आईएस 14534:1998 के अनुसार किया जाएगा;
- (2) शहरी स्थानीय निकाय इस बाबत विहित अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और प्रदूषण नियंत्रण सन्निधियों के अनुपालन में, ऊर्जा प्राप्ति आदि के लिए सड़क निर्माण जैसे उपयुक्त तकनीक अपनाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे;
- (3) तापस्थायी प्लास्टिक सहित प्लास्टिक का प्रसंस्करण और व्ययन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ;
- (4) प्लास्टिक अपशिष्ट की सुविधाओं के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण के अक्रिय का व्ययन ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2015 के अनुपालन में किया जाएगा ।

6. शहरी स्थानीय निकाय का दायित्व

- (1) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय स्वयं या अभिकरण या उत्पादक लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण या संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा;
- (2) शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, प्रचालन और समन्वय के लिए तथा सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्;
- (क) प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;

- (ग) पुनःचक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट भाग के सरणीकरण को सुनिश्चित करना;
- (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्ग निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर पुनःचक्रण योग्य भाग के प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;
- (ङ) सभी पणधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;
- (च) अपशिष्ट चुनने वालों के कार्य कर रहे सिविल सोसायटी या समूहों को लगाना; और
- (छ) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।
- (3) अपशिष्ट के लिए प्रणाली के गठन के लिए शहरी स्थानीय निकाय उत्पादकों की सहायता लेगा और राजपत्र में इन नियमों के अंतिम तारीख के प्रकाशन से एक वर्ष के भीतर ऐसी प्रणाली का गठन किया जाएगा।

7. ग्राम पंचायतों का दायित्व-

- (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वयं या अभिकरण के माध्यम से अपने नियंत्रण के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और सहयोजित कृत्यों के अनुपालन के लिए स्थापना, प्रचालन और समन्वय करेगा अर्थात्
- (क) प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;
- (ग) विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण रखने वाले पुनःचक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट भाग के सरणीकरण को सुनिश्चित करना;
- (घ) सभी पणधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;
- (ङ) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।

8. अपशिष्ट जनक का उत्तरदायित्व –

- (1) अपशिष्ट जनक –
- (क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के जनन को कम करने और स्रोत पर प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक् करने के कदम उठाएगा।
- (ख) प्लास्टिक अपशिष्ट को न बिखरने देगा और स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक् भंडारण सुनिश्चित करेगा तथा पृथक् अपशिष्ट को अपशिष्ट चुनने वालों, रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रण कर्ताओं या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरणों को सौंपेगा।
- (2) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत जनक उनके द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 के अनुसार करेंगे और पृथक्कृत अपशिष्टों को स्वयं के या प्राधिकृत अपशिष्ट अभिकरण के माध्यम से प्राधिकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण या व्ययन सुविधा या निक्षेपण केन्द्रों को सौंपेंगे।
- (3) सभी अपशिष्ट जनक ऐसी उपयोक्ता फीस या प्रभार अदा करेंगे जो अपशिष्ट संग्रहण या उसकी सुविधा के प्रचालन आदि जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट हो।
- (4) खुली जगह में आयोजन की व्यवस्था करने वाला प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति जिसमें प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग में खाद्य सामग्री की सेवा अन्तर्बलित है, ऐसे आयोजनों के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 के अनुसार जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और प्रबंधन करेगा।

9. उत्पादकों का दायित्व – (1) उत्पादक इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने निजी वितरण चैनल या संबद्ध शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से विस्तारित उत्पादक दायित्व पर आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए राज्य शहरी विकास विभाग को सम्मिलित करते हुए रूपरेखा तैयार करेगा।

(2) उत्पादक इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग बन्द कर देगा और ऐसी प्लास्टिक का उपयोग करना आरंभ करेगा जो वस्तु की पैकेजिंग के लिए पुनःचक्रण योग्य या कम्पोस्ट योग्य है।

(3) उत्पादक राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए राज्यों या संबद्ध संघ राज्य क्षेत्रों के यथास्थिति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।

(4) कोई उत्पादक राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों से रजिस्ट्रीकरण के बिना वस्तुओं के पैकेजिंग के लिए किसी प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण या उपयोग नहीं करेगा।

(5) प्रत्येक उत्पादक कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग के बने कवर के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्ति के व्यौरों के अभिलेख बनाए रखेगा।

10. कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक सामग्रियों के लिए नयाचार - प्लास्टिक सामग्री के अवक्रमण की डिग्री और विघटन की डिग्री का निर्धारण, इन नियमों अनुसूची 1 में सूचीबद्ध भारतीय मानकों के नयाचारों के अनुसार होगा।

11. विपणन या लेबल लगाना-

(1) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय पैकेजिंग पर अंग्रेजी में और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाली भाषा में निम्नलिखित जानकारी मुद्रित की जाएगी, अर्थात् :-

(क) कैरी बैग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम, उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या और मोटाई; और

(ख) बहुस्तरीय पैकेजिंग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या।

(2) प्रत्येक पुनःचक्रित कैरी बैग पर निम्नलिखित रूप में यथादर्शित "पुनःचक्रित" लेबल या चिन्ह होगा और भारतीय मानक के समय समय पर यथा संशोधित पुनःचक्रित प्लास्टिक के लिए मार्गदर्शक नामक विनिर्देश भा.मा.14534:1998 के अनुसार होगा;



टिप्पण: पेट-पोलीथाइलिन टेरीफैथेलेट, एचडीईपी-उच्च डेंसिटी पोलीथाइलिन, वी-विनाइल (पीवीसी), एलडीपीई – निम्न डेंसिटी पोलीथाइलिन, पीपी-पोलीप्रोपिलिन, पीएस पोलीस्टायरिन और अन्य से अभिप्रेत सभी अन्य राल और बहुसामग्रियां हैं जैसे एबीएस (एक्रीलोनिट्राइल ब्यूटाडिन स्टायरिन), पीपीओ (पोलीफेननाइलिन आक्साइड), पीसी (पोलीकार्बोनेट), पीवीटी (पोलीवूटीलेन पेरीफेलेट) आदि।

(3) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने प्रत्येक कैरी बैग पर कंपोस्ट योज्य का लेबल लगा होगा और भारतीय मानक के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक विनिर्देश भा.मा./भा.मा.स. 17088:2008 के अनुरूप होगा।

12. विहित प्राधिकारी

(1) किसी संघ राज्यक्षेत्र की बाबत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति रजिस्ट्रीकरण, प्लास्टिक उत्पादों और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण, अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रसंस्करण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा ;

(2) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शहरी विभाग का संबद्ध भारसाधक सचिव अपशिष्ट जनक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के प्लास्टिक शीटों और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कवर के उपयोग से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा ;

(3) संबद्ध ग्राम पंचायत राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जनक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के प्लास्टिक शीटों और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कवर के उपयोग से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा ;

(4) उपनियम (1) से (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन में संबद्ध जिले की अधिकारिता की राज्यक्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की सहायता लेगा।

13. उत्पादक, पुनःचक्रणकर्ता और विनिर्माणकर्ता का रजिस्ट्रीकरण-

(1) कोई व्यक्ति कैरी बैगों या पुनःचक्रित प्लास्टिक बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिकों का विनिर्माण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न हो गया हो;

(2) प्रत्येक उत्पादन कर्ता रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए राज्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति को उपाबद्ध प्ररूप 1 का प्रयोग करते हुए आवेदन करेगा।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो कैरी बैग और बहुस्तरीय प्लास्टिकों या प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण करता है या पुनःचक्रण करने के लिए प्रस्ताव करता है, उपाबद्ध प्ररूप 2 का प्रयोग करते हुए पुनःचक्रण यूनिट के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।

(4) उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक के विनिर्माण में लगे प्रत्येक विनिर्माता प्ररूप 3 में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबद्ध संघ राज्यक्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा;

(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति विनिर्माण या पुनःचक्रण यूनिटों के लिए कोई रजिस्ट्रीकरण तब तक जारी नहीं करेगी या उसका नवीकरण नहीं करेगी जब तक कि यूनिट, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन कोई विधिमान्य सहमति नहीं रखती हो और जिला उद्योग केन्द्र या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र न रखती हो;

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति उत्पादक के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रणाली की स्थापना के लिए संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शहरी विकास के भारसाधक सचिव द्वारा पृष्ठांकित कार्य योजना न रखता हो ;

(7) उपनियम (3) के अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण के रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक के पास

समुचित सुविधाएं तकनीकी योग्यताएं और प्लास्टिक अपशिष्ट से सुरक्षित रूप से निपटने के लिए उपकरण हैं, ऐसी शर्तों के पूरा होने पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगा जो रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों में अभिकथित की जाएं ;

(8) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने हेतु विनिश्चय करेगा।

(9) इस नियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण जब तक कि वह विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और बाद में उसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(10) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, रजिस्ट्रीकरण को उत्पादक या प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण में लगे हुए व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं करेगी।

(11) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से कम से कम एक सौ बीस दिन पूर्व किया जाएगा।

14. खुदरा विक्रेताओं और पथ विक्रेताओं का दायित्व –

(1) खुदरा विक्रेता या पथ विक्रेता उपभोक्ता को ऐसे कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या बहु-स्तरीय पैकेजिंग में वस्तु नहीं बेचेगा या उपलब्ध कराएगा जो इन नियमों के अधीन विहितानुसार विनिर्मित या लेबल लगे या चिन्हित नहीं है।

(2) प्लास्टिक कैरी बैग या बहु-स्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या ऐसे प्लास्टिक शीट से बने जो इन नियमों के अनुसार विनिर्मित या लेबलित या चिन्हित नहीं हैं वस्तुओं को बेचने या उपलब्ध कराने वाला प्रत्येक खुदरा विक्रेता या पथ विक्रेता ऐसा जुर्माना देने का दायी होगा जो शहरी स्थानीय निकायों की विधियों में विनिर्दिष्ट हो।

15. कैरी बैगों की कीमत सुनिश्चित करना –

1. कोई भी कैरी बैग उपभोक्ता को खुदरा विक्रेता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

2. संबद्ध शहरी स्थानीय निकाय अधिसूचना द्वारा कैरी बैगों के लिए, उनकी क्वालिटी और साइज पर आधारित जिसमें उनकी सामग्री और अपशिष्ट प्रबंधन लागत भी सम्मिलित हैं, उनके पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को कम किया जा सके, न्यूनतम कीमत अवधारित करेगा।

3. शहरी स्थानीय निकाय अधिसूचना द्वारा उपनियम (2) के अधीन कैरी बैग के लिए खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ताओं द्वारा किए गए संदाय को जमा करने की रीति अवधारित करेगा।

4. शहरी स्थानीय निकाय कैरी बैगों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा संदत्त रकम का अनन्यतः उपयोग अपनी अधिकारिताओं के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की संधार्यता के लिए करेगा।

16. राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय –

(1) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, इन नियमों के क्रियान्वयन के प्रभावी मानीटरिंग करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) सचिव, शहरी विकास विभाग - अध्यक्ष

(ख) राज्य पर्यावरण विभाग से एक विशेषज्ञ – सदस्य

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से एक विशेषज्ञ – सदस्य

(घ) शहरी स्थानीय निकाय से एक विशेषज्ञ – सदस्य

(ङ) गैर सरकारी संगठन से एक विशेषज्ञ - सदस्य

(च) उद्योग क्षेत्र से एक विशेषज्ञ – सदस्य और

(छ) शिक्षा संस्था के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ – सदस्य

(2) राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा और यदि वह आवश्यक समझता है तो विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा।

17. वार्षिक रिपोर्टें –

(1) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण में लगा प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप 4 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति की सूचना के अधीन संबद्ध शहरी स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक वर्ष की 30 जुलाई संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति की सूचना के अधीन शहरी विकास विभाग के संबद्ध भारसाधक सचिव को प्ररूप 4 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा

(3) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण समिति, प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक इन नियमों के क्रियान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लास्टिक अपशिष्टों के उपयोग और प्रबंधन पर समेकित एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको प्रत्येक वर्ष 30 दिसंबर से पूर्व अपनी सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

अनुसूची-I

[नियम 10 देखें]

1.	भा.मा./भा.मा.स.14851: 1999 जलीय माध्यम से प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना-बंद रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता मापन द्वारा पद्धति
2.	भा.मा./भा.मा.स. 14852: 1999 जलीय माध्यम में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना-उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति।
3.	भा.मा./भा.मा.स. 14853: 2005 प्लास्टिक-जलीय तंत्र में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना-बायोगैस उत्पादन के मापन द्वारा पद्धति।
4.	भा.मा./भा.मा.स. 14855-1: 2005 नियंत्रित संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना-उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग-1 सामान्य पद्धति)।
5.	भा.मा./भा.मा.स. 14855-2: 2007 नियंत्रित संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना-उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग-2; प्रयोगशाला-स्केल परीक्षण में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का भारात्मक मापन)।
6.	भा.मा./भा.मा.स. 15985: 2004 प्लास्टिक-उच्च-ठोसता की अनॉक्सीय (एनोरोबिक) डाईजेशन स्थितियों में अंतिम (अल्टीमेट) अनॉक्सीय (एनोरोबिक) जैव विघटनीयता एवं विघटन ज्ञात करना-निकली बायोबैस की विश्लेषण पद्धति।
7.	भा.मा./भा.मा.स. 16929: 2002 प्लास्टिक-पायलट मापन परीक्षण में परिभाषित संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री के विघटन का स्तर ज्ञात करना।
8.	भा.मा./भा.मा.स. 17556: 2003 प्लास्टिक-रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता अथवा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के मापन द्वारा मृदा में अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना।
9.	भा.मा./भा.मा.स. 20200: 2004 प्लास्टिक-प्रयोगशाला में अनुरूपी कंपोस्टिंग स्थितियों में प्लास्टिक सामग्रियों के विघटन का स्तर ज्ञात करना-स्केल परीक्षण।

प्रपत्र-1

[नियम 13 (2) देखें]

उत्पादकों के पंजीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक

.....

..... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

..... प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

.....

.....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2015 के नियम 9 के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

भाग-क		
साधारण		
1.(क)	इकाई का नाम और अवस्थिति	
(ख)	इकाई का नाम	
(ग)	निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पंजीकरण : (i) कैरी बैग : (ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक	
(घ)	विनिर्माण क्षमता	
(ङ.)	नवीकरण की दशा में, पूर्व पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख	
2.	क्या इकाई, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में डी आई सी/डीसीएसएसआई में पंजीकृत है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
3.(क)	परियोजना पर निवेशित कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन आरंभ करने का वर्ष	
4.(क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा	

(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
5.	उत्पादों और उत्पादित अपशिष्ट निबंधनों में जिसके अंतर्गत केप्टिव विद्युत उत्पादन और जल भी है, इनपुट और आउटपुट को दर्शित करते हुए विनिर्माणकारी प्रक्रिया का एक प्रवाहित डायग्राम प्रस्तुत करें।	
6.	विनिर्मित किए जाने वाले कैरी बैगों का न्यूनतम आकार	
7.	इन नियमों के अनुपालन की प्रास्थिति	
भाग-ख द्रव बहिस्त्राव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित		
8.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हो, तो प्रति संलग्न करें	
भाग-ग अपशिष्ट से संबंधित		
9.	ठोस अपशिष्ट : (क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए अपबंध	
10.	कैरी बैग अथवा समान प्रकार की प्लास्टिक शीट अथवा बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए प्लास्टिक की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों की सूची संलग्न करें/उपलब्ध कराएं।	
नाम और हस्ताक्षर पदनाम		
तारीख :		
स्थान :		

प्रपत्र-II

[नियम 13 (3) देखें]

**प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण में संलग्न इकाइयों के
पंजीकरण हेतु आवेदन-प्रपत्र**

1.	इकाई का नाम और पता			
2.	संपर्क व्यक्ति, पदनाम, टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित			
3.	प्रारंभ किए जाने की तारीख			
4.	कर्मकारों की संख्या (संविदा श्रम सहित)			
5.	सहमति विधिमान्यता	क. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तक विधिमान्य। ख. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तक विधिमान्य।		
6.	प्राधिकरण विधिमान्यता			
7.	विनिर्माण प्रक्रिया	कृपया विनिर्माण प्रक्रिया का प्रवाहित डायग्राम संलग्न करें प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रवाहित डायग्राम।		
8.	उत्पाद और उत्पादन की संस्थित क्षमता (एमटीए)	उत्पाद	संस्थित क्षमता	
9.	पिछले तीन वर्षों के दौरान विनिर्मित उत्पाद (यथा लागू)	वर्ष	उत्पाद	मात्रा
10.	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रयुक्त कच्चा माल (यथा लागू)	वर्ष	उत्पाद	मात्रा
11.	जल उपभोग	औद्योगिक.....एम ³ /दिन घरेलू...../एम ³ /दिन		
	बहु तारीख जिस तक जल उपकर संदत्त किया गया है (यदि लागू हो तो)			

	सहमति के अनुसार अपशिष्ट जल उत्पादन	वस्तुतः उत्पादित अपशिष्ट जल (पिछले 3 मास का औसत)			
	एम ³ /दिन	औद्योगिक एम ³ /दिन			
		घरेलू एम ³ /दिन			
	अपशिष्ट जल अभिक्रिया (अभिक्रिया स्कीम का प्रवाहित डायग्राम दें)	औद्योगिक घरेलू			
	अपशिष्ट जल उत्सर्जन	मात्रा..... एम ³ /दिन अवस्थान..... राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा नियत पीएच, बीओडी, सीओडी, एसएस, ओ एंड जी, अन्य पैरामीटर के लिए अपशिष्ट जल अभिक्रिया का विश्लेषण।			
12.	वायु प्रदूषण नियंत्रण				
	क. प्रत्येक प्रसंस्करण इकाई, उपयोगिताओं आदि के लिए संस्थित स्त्राव नियंत्रण प्रणाली (प्रणालियों) के लिए प्रवाहित डायग्राम दें				
	ख. सामग्री प्रहस्तन, प्रक्रिया, उपयोगिताओं आदि के कारण कच्चे स्त्रावों के नियंत्रण के लिए उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे।				
	ग. ईंधन उपभोग	ईंधन	मात्रा प्रतिदिन/मास		
		(i)			
		(ii)			
	घ. स्टेक स्त्राव मानीटरिंग	निम्नलिखित से संलग्न स्टेक	स्त्राव (एसपीएम, एसओ ₂ एनओएक्स आदि) एमजी/एनएम ³		
		(i)			
		(ii)			
	ड. परिवेशी वायु गुणवत्ता	अवस्थान परिणाम $\mu\text{g}/\text{एम}^3$	पैरामीटर (एसपीएम, एसओ ₂ एनओएक्स आदि) $\mu\text{g}/\text{एम}^3$		
		(i)			
		(ii)			
13.	अपशिष्ट प्रबंधन :	क्र. सं.	प्रकार	प्रवर्ग	मात्रा
	क. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण में अपशिष्ट उत्पादन	(i)			
		(ii)			
		(iii)			

	ख. अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन (ब्यौरे संलग्न करें)				
	ग. अपशिष्ट व्ययन ब्यौरे	क्र. सं.	प्रकार	प्रवर्ग	मात्रा
		(i)			
		(ii)			
	घ. व्ययन सुविधा के ब्यौरे दें ; क्या सुविधा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्राधिकृत है				
	ड. कृपया उत्पादित अपशिष्ट के प्रकृतिकरण की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें (यदि लागू हो तो निक्षालन परीक्षण सहित)				
14.	कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए यथास्थिति, विक्रय, नीलामी, संविदा या आयात के माध्यम से प्राप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित प्लास्टिक अपशिष्ट ब्यौरे	(i) नाम (ii) अपेक्षित मात्रा/वर्ष			
15.	अधिभोग सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलू	कृपया सुविधाओं के ब्यौरे दें।			
16.	टिप्पण :				
	क्या इकाई, स्त्राव/वहिस्राव के मानकों के अनुपालन के लिए पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों/उपस्कर रखती है।	यदि हां, तो कृपया ब्यौरे दें।			
	क्या इकाई, उक्त नियमों में अधिकथित शर्तों के अनुपालन में है।	हां/नहीं			
	क्या प्रहस्थित/प्रसंस्कृत की जाने वाली सामग्री की ऐसी शर्तें विद्यमान हैं या विद्यमान होने की संभावना है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल शीघ्र या विलंबित प्रभाव पड़ता है।	हां/नहीं			
	क्या/प्रहस्थित/प्रसंस्कृत की जाने वाली सामग्री की, किसी ऐसे उपाय द्वारा जो किसी ऐसी अन्य सामग्री को (अर्थात् निक्षालन) उत्पन्न करने में समर्थ है जो पर्यावरण विषाक्तता रखती है, शर्तें विद्यमान हैं (या विद्यमान होने की संभावना है)।	हां/नहीं			
17.	कोई अन्य संगत जानकारी				
18.	नियम के अनुसार संलग्नकों की सूची				

नाम और हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख :
स्थान :

प्रपत्र-III

[कृपया नियम 13(4) देखें]

विनिर्माताओं के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

.....

.....

..... से (अधिष्ठाता का नाम और पूर्ण पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

..... प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

.....

.....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2011 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन करता हूँ/हैं

भाग - क		
सामान्य		
1.(क)	इकाई का नाम और अवस्थिति	
(ख)	इकाई का पता	
(ग)	उत्पादकों द्वारा विनिर्माण और प्रयुक्त की जाने वाली कच्चे माल की आपूर्ति हेतु अपेक्षित पंजीकरण :	
(घ)	विनिर्माण क्षमता	
(ङ)	नवीकरण के मामले में, पिछली पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख	
2.	क्या यह इकाई राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की डीआईसी/डीसीएसएसआई में पंजीकृत है? यदि हां, तो पंजीकरण की प्रति संलग्न करें।	
3.(क)	परियोजना पर निवेश की गई कुल पूंजी	

(ख)	उत्पादन शुरू करने का वर्ष	
4.(क)	उत्पादों और उप-उत्पादों की सूची और प्रमात्रा	
(ख)	उत्पादकों की सूची और उत्पादकों को आपूर्ति किए गए कच्चे माल की प्रमात्रा	
5.	इन नियमों के अनुपालन की स्थिति	
तिथि : स्थान :		नाम और हस्ताक्षर
		पदनाम

प्रपत्र-IV

[नियम 17 (1) देखें]

शहरी स्थानीय निकाय को सुविधा के प्रचालनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र रिपोर्टिंग की अवधि:

(1)	शहर/नगर और राज्य का नाम :	
(2)	जनसंख्या	
(3)	वर्ग कि.मी. में क्षेत्र	
(4)	शामिल किए गए वार्डों की संख्या	
(5)	शहरी स्थानीय निकाय का नाम और पता (दूरभाष/फैक्स/ई-मेल)	
(6)	सुविधा के प्रचालनकर्ता का नाम और पता	
(7)	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम (दूरभाष/फैक्स/मोबाइल/ई-मेल)	
(8)	क्षमता :	
(9)	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकियां :	
(10)	प्रस्तुत रिपोर्ट के वर्ष के दौरान प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रमात्रा	
(11)	प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रमात्रा (टनों में) : - पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में) - प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में) - उपयोग में लाया गया (टन में)	

(12)	खत्ता स्थलों में अंतिम निपटान हेतु भेजे गए बेकार/अस्वीकृत अपशिष्टों की प्रमात्रा :	
(13)	<p>उस खत्ता सुविधा का ब्यौरा जहां बेकार/अस्वीकृत अपशिष्टों को अंतिम निपटान हेतु भेजा गया है :</p> <ul style="list-style-type: none"> - पता - दूरभाष 	
(14)	सहमति या पंजीकरण के दौरान यदि कोई पर्यावरणीय शर्त विनिर्दिष्ट की गई हो तो उसके अनुपालन की स्थिति संलग्न करें।	

प्रचालनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

प्रपत्र-V

[नियम 17(2) देखें]

**शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी
वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र**

प्रस्तुत करने की अवधि :

(1)	शहर/नगर और राज्य का नाम :	
(2)	जनसंख्या	
(3)	वर्गकिलोमीटर में क्षेत्र	
(4)	शहरी स्थानीय निकाय का नाम और पता टेलीफोन सं. फैक्स सं. ई-मेल:	
(5)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या	
(6)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र से वर्ष के दौरान एकत्रित किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(7)	वर्ष के दौरान पुनर्चक्रण हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(8)	वर्ष के दौरान प्रसंस्करण हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(9)	वर्ष के दौरान उपयोग हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(10)	वर्ष के दौरान भू-भराव स्थलों को भेजे गए बेकार/अस्वीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(11)	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान हेतु प्रयुक्त प्रत्येक सुविधा का ब्यौरा सुविधा-I i. प्रचालक का नाम ii. टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सहित पता iii. क्षमता	

	iv. प्रयुक्त प्रौद्योगिकी v. पंजीकरण संख्या vi. पंजीकरण की वैधता (तक) सुविधा-II i. प्रचालक का नाम ii. टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सहित पता iii. क्षमता iv. प्रयुक्त प्रौद्योगिकी v. पंजीकरण संख्या vi. पंजीकरण की वैधता (तक)	
(12)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में घरों की कुल संख्या	
(13)	घर-घर जाकर किए गए एकत्रण में शामिल घरों की संख्या	
(14)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में वाणिज्यिक संस्थाओं और संस्थानों की कुल संख्या - वाणिज्यिक संस्थाएं - संस्थान	
(15)	प्रत्येक संस्था/संस्थान में जाकर एकत्रण के लिए शामिल वाणिज्यिक संस्थाओं और संस्थानों की संख्या - वाणिज्यिक संस्थाएं - संस्थान	
(16)	घर-घर जाकर एकत्रण एजेंसियों के ब्यौरे सहित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु तैयार किए गए तंत्रों का सारांश	
(17)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु तैयार की गई अवसंरचना का ब्यौरा संलग्न करें	
(18)	अपेक्षित अवसंरचना, यदि कोई हो, के औचित्य सहित उसका ब्यौरा संलग्न करें	
(19)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में अभिज्ञात मलिन बस्तियों की संख्या	
(20)	अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं से युक्त मलिन बस्तियों की संख्या:	
(21)	ब्यौरा दें : गली की सफाई, अपशिष्ट के द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित एकत्रण हेतु तैनात की गई शहरी स्थानीय निकायों की निजी जनशक्ति ।	

(22)	व्यौरा दें : गली की सफाई, अपशिष्ट के द्वितीय भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित एकत्रण हेतु तैनात की गई ठेकेदार/ग्राहियों की जनशक्ति ।	
(23)	वित्तीय बाध्यताओं, सहित इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों, यदि कोई हों, का उल्लेख करें	
(24)	क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों में सुधार करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हां तो (प्रति संलग्न करें) संशोधन की तारीख :	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

[फा.सं.17-2/2001-एनएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2015

G.S.R. 423(E).—Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 249(E), dated the 4th February, 2011, erstwhile, the Central Government, with an objective to improve plastic waste management system, framed the Plastic Waste (Management & Handling) Rules, 2011 for restricting the manufacture and use of plastic carry bags and for setting up of plastic waste management system by the municipal authorities;

And whereas an appraisal of implementation has revealed that desired results have not been achieved by the prescribed authorities due to various reasons and a need was felt to revisit these rules for the protection of public health and environment;

And whereas there is need to give thrust on plastic waste minimization, source segregation, recycling, involving waste pickers, recyclers and waste processors in collection of plastic waste fraction either from households or any other source of its generation or intermediate material recovery facility and adopt polluter's pay principle for the sustainability of the waste management system;

Now, Therefore, the following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by the sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in supersession of the Plastic Waste (Management & Handling) Rules, 2011 except as requisite things done or omitted to be done before such supersession are hereby published for the information of public likely to be affected thereby; and the

notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to public;

The objections or suggestions to the draft rules, if any, may be addressed, within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment and Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003 or electronically at the e-mail address of the Ministry bsinha@gov.in, shard.sapra@nic.in;

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules shall be called the Plastic Waste Management Rules, 2015.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Application.-

- (1) These rules shall apply to every waste generator, urban local body, Gram Panchayat, manufacturer and producer.
- (2) The rule 4 shall not apply to the export oriented units or units in special economic zones, notified by the Central Government, manufacturing their products against an order for export: Provide that this exemption shall not apply to units engaged in packaging of gutkha, tobacco and pan masala and also to any surplus or rejects, left over products and the like.

3. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires.-

- (a) “**Act**” means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (b) “**carry bags**” mean bags made from plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use;
- (c) “**commodity**” means tangible item that may be bought or sold and includes all marketable goods or wares;
- (d) “**compostable plastics**” mean plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO₂, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials, excluding conventional petro-based plastics, and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;
- (e) “**consent**” means the consent to establish and operate from the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee granted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);
- (f) “**disintegration**” means the physical breakdown of a material into very small fragments;
- (g) “**extended producer’s responsibility (EPR)**” means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;
- (h) “**food-stuffs**” mean ready to eat food products, fast food, processed or cooked food in liquid, powder, solid or semi-solid form;
- (i) “**facility**” means the premises used for recycling, processing and disposal of plastic waste;
- (j) “**institutional generator**” means and includes occupier of the institutional buildings such as building occupied by Central Government Departments, State Government Departments, public or private sector companies, hospitals, schools, colleges, universities or other places of education, organisation, academy, hotels and restaurants;
- (k) “**manufacturer**” means and include a person or unit or agency engaged in production of plastic to be used as raw material by the producer.
- (l) “**multilayered packaging**” means any material used or to be used for packaging and has a combination of more than one layer of materials such as paper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminiumfoil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;

- (m) **“plastic”** means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyl (PVC), low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polyphenylene oxide (PPO), polycarbonate (PC), Polybutylene terephthalate (PBT) and which at some stage in its processing into finished products can be shaped by flow;
- (n) **“plastic sheet”** means and includes abroad, thin, usually rectangular mass or piece of plastic;
- (o) **“plastic waste”** means any product made of plastic which have been discarded after use or after their intended life is over;
- (p) **“prescribed authority”** means the authorities specified in rule 12;
- (q) **“producer”** means persons engaged in manufacture of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;
- (r) **“registration”** means registration with the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned, as the case may be;
- (s) **“street vendor”** shall have the same meaning as assigned to it in clause (1) of sub-section (1) of Section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014);
- (t) **“urban local body”** means municipal corporation, municipality, nagar palika, nagarnigam, nagar panchayat, municipal council including notified area committee (NAC), or any other local body constituted under the relevant statutes and, where the management of plastic waste is entrusted to such agency;
- (u) **“virgin plastic”** means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;
- (v) **“waste generator”** means and includes every person or group of persons or institution, residential and commercial establishments including Indian Railways and Defense Cantonments which generate plastic waste;
- (w) **“waste management”** means the scientific reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste;
- (x) **“waste pickers”** mean individuals or groups of individuals voluntarily engaged in the picking of recyclable plastic waste.

4. Conditions.- The manufacture, stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheet and multilayered packaging, shall be subject to the following conditions, namely:-

- a) carry bags shall either be in natural shade (colourless), which is without any added pigments or made using only those pigments and colourants which are in conformity with Indian Standard : IS 9833:1981 titled as “List of pigments and colourants for use in plastics in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water”, as amended from time to time;
- b) recycled plastic or products made of recycled plastic shall not be used for storing, carrying, dispensing or packaging food stuffs;
- c) carry bag made of virgin or recycled plastic, shall not be less than 50 microns in thickness;
- d) plastic sheet or like, which is not an integral part of multilayered packaging or cover made of plastic sheet used for packaging or wrapping the commodity shall not be less than 50 microns in thickness;
- e) the manufacturer shall not sell or provide or arrange plastic to be used as raw material to a producer, not having valid registration from the concerned State Pollution Control Boards or Pollution Control Committee;
- f) sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala;
- g) recycled carry bags shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;
- h) carry bags made from compostable plastics shall conform to the Indian Standard: IS/ISO 17088:2008 titled as Specifications for Compostable Plastics, as amended from time to time; and
- i) plastic material, in any form, shall not be used in any package for packaging gutkha, pan masala and tobacco in all forms.

5. Plastic waste management.- (1) The plastic waste management by the urban local bodies in their respective jurisdiction shall be as under:-

- a. Wet bio-degradable waste, dry recyclable and combustible wastes and domestic hazardous wastes shall be segregated at source in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2015.
 - b. Plastic waste, which can be recycled, shall be channelized to registered plastic waste recycler and recycling of plastic shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time.
- (2) Urban local bodies shall encourage the use of plastic waste by adopting suitable technology such as in road construction, for energy recovery, etc. in compliance with the standards and pollution control norms specified by the prescribed authority in this regard.
- (3) Processing and disposal of plastic including thermo-set plastic shall be as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time.
- (4) The inert from recycling or processing facilities of plastic waste shall be disposed of in compliance with the Solid Waste Management Rules, 2015.

6. Responsibility of urban local body.-

- (1) Every urban local body shall be responsible for development and setting up of infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste either on its own or by engaging agencies or producers.
- (2) The urban local body shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the waste management system and for performing the associated functions, namely:-
 - (a) Ensuring segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of plastic waste;
 - (b) ensuring that no damage is caused to the environment during this process;
 - (c) ensuring channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers;
 - (d) ensuring processing and disposal on non-recyclable fraction of plastic waste in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board;
 - (e) creating awareness among all stakeholders about their responsibilities;
 - (f) engaging civil societies or groups working with waste pickers; and
 - (g) ensuring that open burning of plastic waste does not take place.
- (3) The urban local body for setting up of system for plastic waste shall seek assistance of producers and such system shall be set up within one year from the date of final publication of these rules in the Official Gazette.

7. Responsibility of Gram Panchayat.-

- (1) Every gram panchayat either on its own or by engaging an agency shall set up, operationalise and co-ordinate for waste management in the rural area under their control and for performing the associated functions, namely:-
 - (a) ensuring segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of plastic waste;
 - (b) ensuring that no damage is caused to the environment during this process;
 - (c) ensuring channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers having valid registration;
 - (d) creating awareness among all stakeholders about their responsibilities; and
 - (e) ensuring that open burning of plastic waste does not take place.

8. Responsibility of waste generator:- (1) The waste generator shall-

- (a) take steps to minimize generation of plastic waste and segregate plastic waste at source in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2015;
 - (b) not litter the plastic waste and ensure segregated storage of waste at source and handover segregated waste to waste pickers, registered recyclers or waste collection agencies;
- (2) All institutional generators of plastic waste, shall segregate and store the waste generated by them in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2015 and handover segregated wastes to authorized waste processing or disposal facilities or deposition centres either on its own or through the authorized waste collection agency.

- (3) All waste generators shall pay such user fee or charge as may be specified in the bye-laws of the urban local bodies for plastic waste management such as waste collection or operation of the facility thereof, etc.;
- (4) Every person responsible for organising an event in open space, which involves service of food stuff in plastic or multilayered packaging shall segregate and manage the waste generated during such events in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2015

9. Responsibility of producers.-

- (1) The producers, within a period of six months from the date of publication of these rules, shall work out modalities for waste collection system based on Extended Producers Responsibility and involving State Urban Development Departments, either individually or collectively, through their own distribution channel or through the urban local body concerned.
- (2) The producer, within a period of three years from the date of final publication of these rules, shall stop use of multilayered packaging and switch over to use of plastic which is recyclable or compostable, for packaging commodity.
- (3) The producer, within a period of three months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette shall apply to the Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, of the States or the Union Territories concerned, for grant of registration.
- (4) No producer shall on and after the expiry of a period of one year from the date of final publication of these rules in the Official Gazette manufacture or use any plastic or multilayered packaging for packaging of commodities without registration from the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees.
- (5) Every producer shall maintain a record of details of the person engaged in supply of plastic used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet or like or cover made of plastic sheet or multilayered packaging.

10. Protocols for compostable plastic materials.-

Determination of the degree of degradability and degree of disintegration of plastic material shall be as per the protocols of the Indian Standards listed in Schedule I to these rules.

11. Marking or labelling.-

- (1) Each plastic carry bag and multilayered packaging shall have the following information printed in English and in language being used in the State or the Union Territory, namely:-
 - (a) name, registration number of the manufacturer and thickness in case of carry bag; and
 - (b) name and registration number of the manufacturer in case of multilayered packaging.
- (2) Each recycled carry bag shall bear a label or a mark “recycled” as shown below and shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as “Guidelines for Recycling of Plastics”, as amended from time to time;



NOTE: PET-Polyethylene terephthalate, HDPE-High density polyethylene, V-Vinyl (PVC), LDPE- Low density polyethylene, PP-Polypropylene, PS-Polystyrene and Other means all other resins and multi-materials like ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PPO (Polyphenylene oxide), PC (Polycarbonate), PBT (Polybutylene terephthalate) etc.

- (3) Each carry bag made from compostable plastics shall bear a label “compostable” and shall conform to the Indian Standard : IS/ISO 17088:2008 titled as Specifications for “Compostable Plastics”.

12. Prescribed authority.-

- (1) The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union Territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to registration, manufacture of plastic products and multilayered packaging, processing and disposal of plastic wastes.

- (2) The concerned Secretary-in-charge of Urban Development of the State or a Union Territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging.
- (3) The concerned Gram Panchayat shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by the waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging in the rural area of the State or a Union Territory.
- (4) The authorities referred to in sub-rules (1) to (3) shall take the assistance of the District Magistrate or the Deputy Commissioner within the territorial limits of the jurisdiction of the concerned district in the enforcement of the provisions of these rules.

13. Registration of producer, recyclers and manufacturer.-

- (1) No person shall manufacture carry bags or recycle plastic bags or multilayered packaging unless the person has obtained a registration from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned, as the case may be, prior to the commencement of production;
- (2) Every producer shall, for the purpose of registration or for renewal of registration, make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned, in Form I.
- (3) Every person recycling or processing waste or proposing to recycle or process plastic waste shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, for grant of registration or renewal of registration for the recycling unit, in Form II.
- (4) Every manufacturer engaged in manufacture of plastic to be used as raw material by the producer shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned, for the grant of registration or for the renewal of registration, in Form III.
- (5) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not issue or renew registration to plastic waste recycling or processing units unless the unit possesses a valid consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) along with a certificate of registration issued by the District Industries Centre or any other Government agency authorised in this regard.
- (6) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not renew registration of producer unless the producer possesses an action plan endorsed by the Secretary in charge of Urban Development of the concerned State or Union Territory for setting of plastic waste management system.
- (7) On receipt of the application complete in all respects for the registration for recycling or processing of plastic waste under sub-rule (3), the State Pollution Control Board may, after such inquiry as it considers necessary and on being satisfied that the applicant possesses appropriate facilities, technical capabilities and equipment to handle plastic waste safely, may grant registration to the applicant on fulfilment of the conditions as may be laid down in terms of registration.
- (8) Every State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall take a decision on the grant of registration within ninety days of receipt of an application which is complete in all respects.
- (9) The registration granted under this rule shall initially be valid for a period of one year, unless revoked, suspended or cancelled and shall subsequently be granted for three years.
- (10) State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not revoke, suspend or cancel registration without providing the opportunity of a hearing to the producer or person engaged in recycling or processing of plastic wastes.
- (11) Every application for renewal of registration shall be made at least one hundred twenty days before the expiry of the validity of the registration certificate.

14. Responsibility of retailers and street vendors-

- (1) Retailers or street vendors shall not sell or provide commodities to consumer in carry bags or plastic sheet or multilayered packaging, which are not manufactured and labelled or marked, as per prescribed under these rules.
- (2) Every retailers or street vendors selling or providing commodities in, plastic carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like or covers made of plastic sheets which are not manufactured or labelled or marked in accordance with these rules shall be liable to pay such fines as specified under the bye-laws of the urban local bodies.

15. Explicit pricing of carry bags.-

- (1) No carry bags shall be made available free of cost by retailers to consumers.
- (2) The concerned urban local body may by notification determine the minimum price for carry bags depending upon their quality and size which covers their material and waste management costs in order to encourage their re-use so as to minimize plastic waste generation.
- (3) The urban local body by notification determine the manner of depositing with it the payment made by the customers to the retailers for carry bags under sub-rule (2).
- (4) The urban local body shall utilize the amount paid by the customers for the carry bags exclusively for the sustainability of the waste management system within their jurisdictions.

16. State Level Advisory Body.-

- (1) the State government or the Union Territory shall, for the purpose of effective monitoring of implementation of these rules, constitute a State Level Advisory Committee consisting of the following persons, namely:-
 - (a) the Secretary, Department of Urban Development - Chairman
 - (b) one expert from State Department of Environment - Member
 - (c) one expert from State Pollution Control Board or
Pollution Control Committee - Member
 - (d) one expert from Urban Local Body - Member
 - (e) one expert from Non-Governmental Organisation - Member
 - (f) one expert from the field of Industry - Member and
 - (g) one expert from the field of academic institution - Member
- (2) The State Level Advisory Body shall meet at least once in a year and may invite experts, if it considers necessary.

17. Annual reports.-

- (1) Every person engaged in recycling or processing of plastic waste shall prepare and submit an annual report in Form-IV to the urban local body concerned under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30th day of April of every year.
- (2) Every urban local body shall prepare and submit an annual report in Form -V to the concerned Secretary-in-charge of the Urban Development Department under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30th day of July of every year.
- (3) Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare and submit an annual report to the Central Pollution Control Board on the implementation of these rules by the 30th day of September of every year.
- (4) The Central Pollution Control Board shall prepare a consolidated annual report on the use and management of plastic waste and forward it to the Central Government along with its recommendations before the 30th day of December every year.

SCHEDULE-I*[See rule 10]*

1.	IS/ISO 14851: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by measuring the oxygen demand in a closed Respirometer
2.	IS/ISO 14852: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by analysis of evolved carbon dioxide
3.	IS/ISO 14853: 2005 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system-Method by measurement of biogas production
4.	IS/ISO 14855-1: 2005 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-1 General method)
5.	IS/ISO 14855-2: 2007 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory- scale test)

6.	IS/ISO 15985: 2004 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation and disintegration under high-solids anaerobic digestion conditions- Methods by analysis of released biogas
7.	IS/ISO 16929: 2002 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot - scale test
8.	IS/ISO 17556: 2003 Plastics- Determination of ultimate aerobic biodegradability in soil by measuring the oxygen demand in a Respirometer or the amount of carbon dioxide evolved
9.	IS/ISO 20200:2004 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory - scale test

FORM - I*[See rules 13 (2)]***APPLICATION FOR REGISTRATION FOR PRODUCERS**

From:

.....

.....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

..... Pollution Control Board/Pollution Control Committee

.....

.....

Sir,

I/We hereby apply for registration under rule 9 of the Plastic Waste Management Rules, 2015

PART – A GENERAL		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	Registration required for manufacturing of: (i) Carry bags: (ii) Multilayered plastics	
(d)	Manufacturing capacity	
(e)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the DIC/DCSSI of the State Government/Union Territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
4. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
5.	Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and water.	
6.	Minimum sizes and thickness of carry bags to be manufactured	
7.	Status of compliance with these rules	
PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
8.	(a) Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	

	(b) Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART - C PERTAINING TO WASTE		
9.	Solid Wastes: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
10.	Attach/ Provide list of person supplying plastic to be used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet of like or multilayered packaging	
Name and Signature		
Designation		
Date :		
Place :		

FORM - II

[see rule 13 (3)]

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF UNITS ENGAGED IN PROCESSING OR RECYCLING OF PLASTIC WASTE

1.	Name and Address of the unit			
2.	Contact person with designation, Tel./Fax /email			
3.	Date Commissioned			
4.	No. of workers (including contract labour)			
5.	Consents Validity	a. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974; Valid up to _____ b. Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981; Valid up to _____		
6.	Authorization validity			
7.	Manufacturing Process	Please attach a flow diagram of the manufacturing process flow diagram for each product.		
8.	Products and installed capacity of production (MTA)	Products		Installed capacity
9.	Products manufactured during the last three years (as applicable)	Year	Product	Quantity
10.	Raw material consumed during the last three years (as applicable)	Year	Product	Quantity
11.	Water consumption	Industrial _____ m ³ /day Domestic _____ m ³ / day		
	Date until which water cess has been paid (if applicable)			

	Waste water generation as per consent _____ m ³ /day	Actual waste water generated (average of last 3 months) Industrial _____ m ³ /day Domestic _____ m ³ /day			
	Waste water treatment (provide flow diagram of the treatment scheme)	Industrial Domestic			
	Waste water discharge	Quantity _____ m ³ /day Location _____ Analysis of treated waste water for pH, BOD, COD, SS, O&G, any other parameter stipulated by SPCB/PCC (attach details)			
12.	Air Pollution Control				
	a. Provide a flow diagram for emission control system(s) installed for each processing unit, utilities etc.				
	b. Details for facilities provided for control of fugitive emissions due to material handling, process, utilities etc.				
	c. Fuel consumption	Fuel	Qty per day/month		
		(i)			
		(ii)			
	d. Stack emission monitoring	Stack attached to	Emission (SPM, SO ₂ , NO _x , etc.) mg/Nm ³		
		(i)			
		(ii)			
	e. Ambient air quality	Location Results µg/m ³	Parameters SPM, SO ₂ , NO _x , etc.) µg/m ³		
		(i)			
		(ii)			
13.	Waste Management:	S No	Type	Category	Qty.
	a. Waste generation in processing plastic-waste	(i)			
		(ii)			
		(iii)			
	b. Waste Collection and transportation (attach details)				
	c. Waste Disposal details	S No	Type	Category	Qty
		(i)			
		(ii)			
	d. Provide details of the disposal facility, whether the facility is authorized by SPCB/SPCC				
	e. Please attach analysis report of characterization of waste generated (including leachate test if applicable)				
14.	Details of plastic waste proposed to be acquired through sale, auction, contract or import, as the case may be, for use as raw material	(i) Name (ii) Quantity required /year			
15.	Occupational safety and health aspects	Please provide details of facilities			
16.	Remarks:				
	Whether the unit has adequate pollution control systems / equipment to meet the standards of emission / effluent.	If Yes, please furnish details			
	Whether unit is in compliance with conditions laid down in the said rules.	Yes/No			
	Whether conditions exist or are likely to exist of the material being handled / processed posing adverse immediate or delayed impacts on the environment.	Yes/No			

	Whether conditions exist (or are likely to exist) of the material being handled / processed by any means capable of yielding another material (e.g. leachate) which may possess eco-toxicity.	Yes/No
17.	Any other relevant information	
18.	List of enclosures as per rule	

Name and Signature

Designation

Date :

Place :

FORM - III*[See rules 13(4)]***APPLICATION FOR REGISTRATION FOR MANUFACTURERS**

From:

.....

.....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

..... Pollution Control Board/Pollution Control Committee

.....

.....

Sir,

I/We hereby apply for registration under the Plastic Waste Management Rules, 2011

PART - A GENERAL		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	Registration required for manufacturing and supply of raw material to be used by producers :	
(d)	Manufacturing capacity	
(e)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the DIC/DCSSI of the State Government/Union Territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
4. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List of producers and quantum of raw materials supplied to producers	
7.	Status of compliance with these rules	

Name and Signature

Designation

Date :

Place :

Form - IV*[See rules 17 (1)]***Format of Annual Report by Operator of Facility to the Urban Local Body****Period of Reporting:**

(1)	Name of the City/Town and State:	
(2)	Population	
(3)	Area in sq. kilometers	
(4)	Number of wards covered	
(5)	Name & Address of the Urban local body (Telephone/Fax/ E-mail)	
(6)	Name and Address of operator of the facility	
(7)	Name of officer in-charge of the facility (Telephone/Fax/Mobile/ E-mail)	
(8)	Capacity:	
(9)	Technologies used for management of plastic waste:	
(10)	Quantity of plastic waste received during the year being reported upon	
(11)	Quantity of plastic waste processed (in tons): - Plastic waste recycled (in tons) - Plastic waste processed (in tons) - Used (in tons)	
(12)	Quantity of inert/ rejects sent for final disposal to landfill sites:	
(13)	Details of land fill facility to which inert/ rejects were sent for final disposal: - Address -Telephone	
(14)	Attach status of compliance to environmental conditions, if any specified during grant of Consent or registration	

Signature of Operator

Dated :

Place:

Form - V

[See rules 17(2)]

FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE URBAN LOCAL BODY**Period of Reporting:**

(1)	Name of the City/Town and State:	
(2)	Population	
(3)	Area in sq. kilometers	
(4)	Name & Address of Urban local body Telephone No. Fax No. E-mail:	
(5)	Total Numbers of the wards in the area under jurisdiction	
(6)	Quantity of Plastic Waste collected during the year from area under jurisdiction (in tons)	
(7)	Quantity of plastic waste channelized for recycling during the year (in tons)	
(8)	Quantity of plastic waste channelized for processing during the year (in tons)	
(9)	Quantity of plastic waste channelized for use during the year (in tons)	
(10)	Quantity of inert/rejects sent to landfill sites during the year (in tons)	
(11)	Details of each of facilities used for processing and disposal of plastic waste Facility-I i) Name of operator ii) Address with Telephone Number/ Mobile iii) Capacity iv) Technology Used v) Registration Number vi) Validity of Registration (up to) Facility-II i) Name of operator ii) Address with Telephone Number/ Mobile iii) Capacity iv) Technology Used v) Registration Number vi) Validity of Registration (up to)	
(12)	Total Numbers of Households in the area under jurisdiction	
(13)	Number of households covered by door to door collection	
(14)	Total number of commercial establishments and Institutions in the area under jurisdiction -Commercial establishments - Institutions	
(15)	Number of commercial establishments and Institutions covered by door to door collection -Commercial establishments - Institutions	
(16)	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in the area under jurisdiction along with the details of agencies involved in door to door collection	
(17)	Attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in the area under jurisdiction	
(18)	Attach details of infrastructure required, if any along with justification	

(19)	Number of slums identified in the area under jurisdiction	
(20)	Number of slums provided with Waste Management facilities:	
(21)	Give details of: Urban local body's own manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.	
(22)	Give details of: Contractor/ concessionaire's manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.	
(23)	Mention briefly, the difficulties being experienced by the urban local body in complying with provisions of these rules including the financial constrains, if any	
(24)	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city? If yes (attach copy) Date of revision:	

Signature of CEO/Municipal Commissioner/
Executive Officer/Chief Officer

Date:

Place:

[F. No. 17-2/2001-HSMD]
BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.